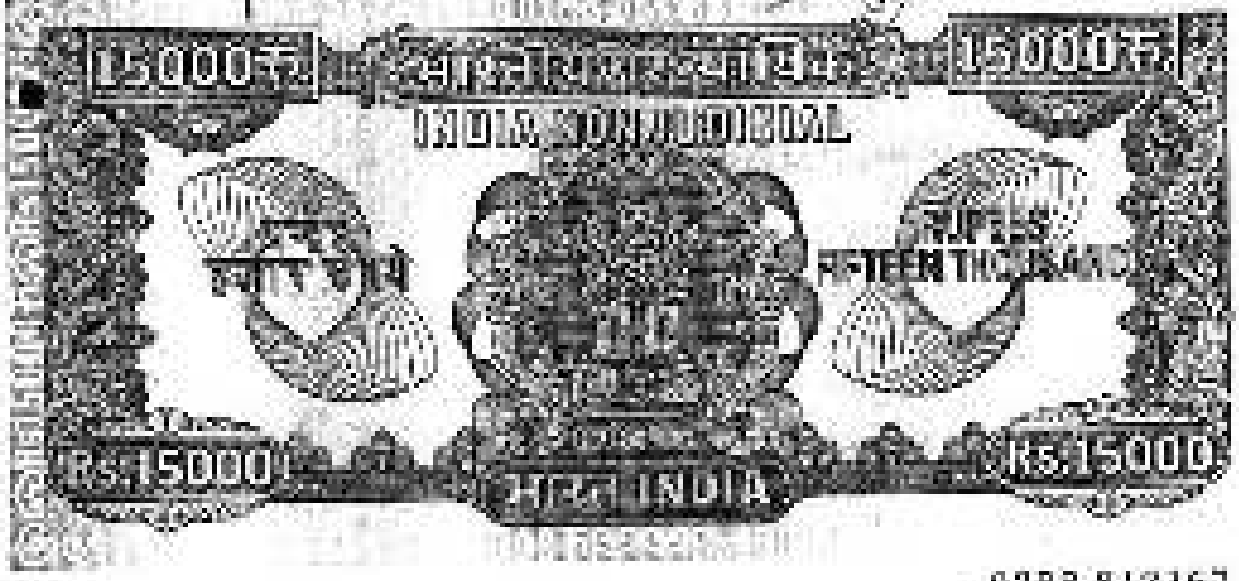

0383 812167

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	-	रू0 1,90,305/-
बाजार मूल्य	-	रू0 1,11,513/-
अदा किये गये स्टाम्प शुल्क	-	रू0 19,300/-

1.	भूमि का प्रकार	-	भूमि
2.	उपयोग	-	सिंचित
3.	ग्राम	-	हसनपुर [illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	भूमि खसरा संख्या का रकबा 0.126

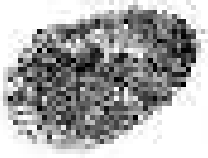

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 602739

-2-

हेक्टेयर, खसरा संख्या 114 रकबा 0.348 हे0 कुल रकबा 0.407 हे0 का 1/6 भाग अर्थात 0.0811 हे0 स्थित ग्राम [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] व जिला [illegible]।

5.	रकबा की इकाई	-	हेक्टेयर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.0811 हेक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति	-	[illegible] रोड व [illegible] से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	-	कोई पेड़ नहीं है।
10.	बोरिंग/ कुआं आदि	-	कुछ भी नहीं है।

चौहद्दी अलग पत्र पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 602736

- 3 -

उत्तर	[illegible]
दक्षिण	खसरा नं0-75,80
पूरब	खसरा नं0-280
पश्चिम	खाता नं0 77

चौहद्दी खसरा नं0 116

उत्तर	खसरा नं0-113,93
दक्षिण	खसरा नं0-115
पूरब	खसरा नं0-91,123
पश्चिम	खसरा नं0-116,117

प्रथम पक्ष की संख्या 1	द्वितीय पक्ष की संख्या- 1
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 602737

रामनाथ पुत्र छोटे निवासी-ग्राम कमलापुर खेवली परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	कीर्ति कुमार यादव पुत्र लक्ष्मी प्रसाद यादव निवासी-परियामक गोसाईंगंज, लखनऊ।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख रामनाथ पुत्र छोटे निवासी-ग्राम कमलापुर खेवली परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ [illegible] गया है एवम् कीर्ति कुमार यादव पुत्र लक्ष्मी प्रसाद यादव निवासी-परियामक, गोसाईंगंज, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 602736

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 78 रकबा 0.139 हेक्टेयर, खसरा संख्या 114 रकबा 0.348 कि कुल रकबा 0.487 हे0 का 1/6 भाग अर्थात 0.0811 हे0 स्थित ग्राम अलमपुर चौनी, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व दाखिल है तथा उपरोक्त प्रमाणित कम्प्यूटरीकृत खतौनी संख्या 00157 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम पर समस्त राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 166168

उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विलेख के पूर्व कहीं रहन, हिबा, बिक्री या वसीयतनामा इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कोई ऋण या अन्य प्रकार का कोई भार नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारियों की होगी। उपरोक्त भूमि का उक्त कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कर्मचारी के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या अंश इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय सम्पादन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अस्तु

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 166167

-7-

उपरोक्त सम्पत्ति के बावत कुल विक्रय मूल्य रु0 3,92,365/- की प्रतिफल में विक्रय उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विक्रय पत्र के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति की विक्रेता यहाँ स्वीकार करती है, फलस्वरूप उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हक उपरोक्त वर्णित भूमि जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को सदैव हेतु बेच दिया है, तथा विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को सम्पूर्ण रूप से दे दिया गया है। अब उक्त जायदाद पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 165165

सुविधा व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को उसके एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में स्वामित्व के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करें। विक्रेता व उसके वारिसान इसमें किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं कर सकेंगे एवं न ही कोई दावा कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे व अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता, उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय खर्चों व हर्जे,

विक्रेता की मा. अथवा सम्पत्ति से बाहर उत्पन्न होता है। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहित नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को सक्षम राजस्व अधिकारी से अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि यदि विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी प्रकार का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसकी विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त ग्राम [illegible] अर्बन [illegible] के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.0811 हेक्टेयर की कुल मालियत 1,11,513/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 19,308/- स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधि नहीं चल रही है व कोई ट्यूबवेल, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मीटर के अन्तराल में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि

विक्रय पत्र

152,000.00 112,000.00 3,990.00 40 2,000.00 2,080

प्रतिफल मालियत

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री [illegible]

पुत्र / पत्नी [illegible]

पेशा कृषि

निवासी स्थायी [illegible] लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 14/2/2007 समय 3:15 PM बजे

निबन्धन हेतु पेश किया।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

14/2/2007

[illegible]

विक्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible] लखनऊ

क्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible]

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible] लखनऊ

ने की।

[illegible]

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

14/2/2007

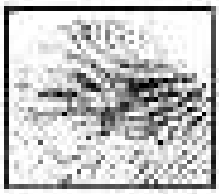

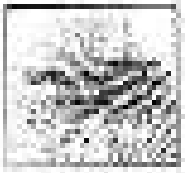

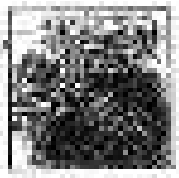

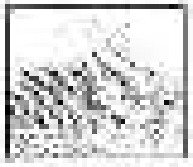

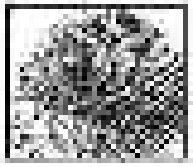

सुल्तानपुर रोड से ५ ... अर्थात ... से लगभग 300 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। अतः विक्रय विलेख के निष्पादन पर [illegible] किया गया है।

विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>प्रतिफल भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेता [illegible] को रु० 1,92,300/- द्वारा चेक संख्या-497394 दिनांकित 14.02.2007 पंजाब नेशनल बैंक, [illegible] लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता ने कुल विक्रय मूल्य 1,92,300/- (रुपया एक लाख बानबे हजार तीन सौ केवल मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करती है।

लखनऊ
दिनांक : 14.02.2007

गवाह : क्रेता पहचान की

1. [illegible]

2. विक्रेता पहचान की

[illegible]

(संजय कुमार सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

[illegible]
विक्रेता

[illegible]
क्रेता

[illegible]
(... सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No 1491 Year 2007 Book No 1

[illegible]

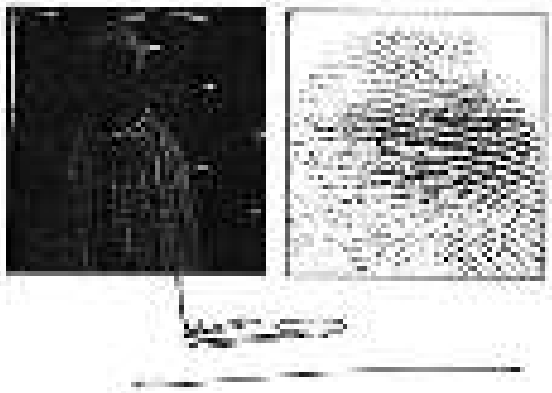

ग्राम [illegible]

खसरा नं. 77

रकबा 0.178 हे.

[illegible]   [illegible]

[illegible]

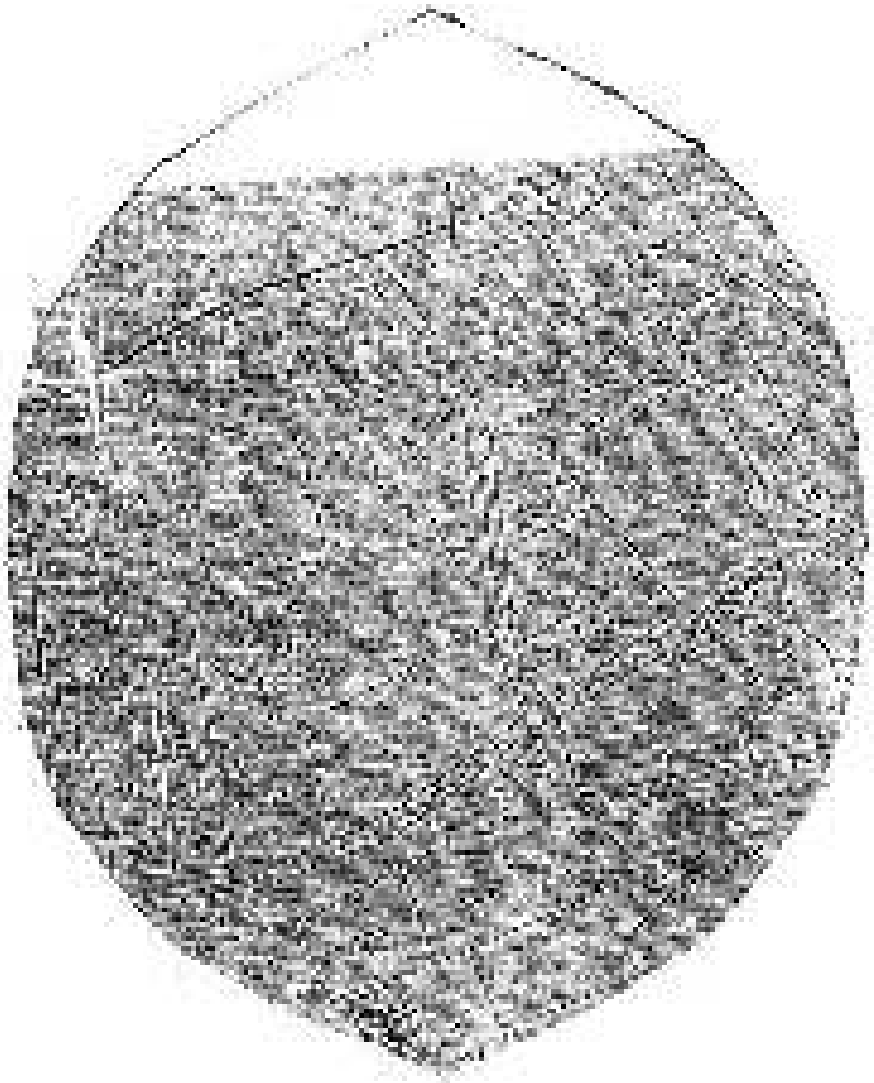

[illegible]

Registration No. 1450 | Year : 2016 | Book No. I

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

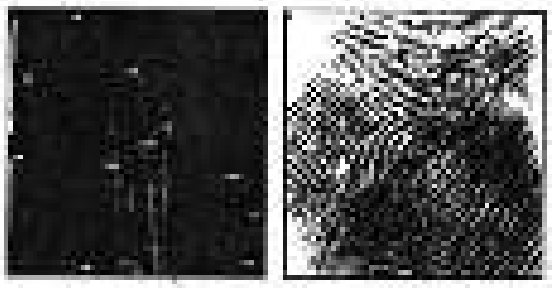

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टर्स

क्रेता/विक्रेता नाम व पता :- ....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

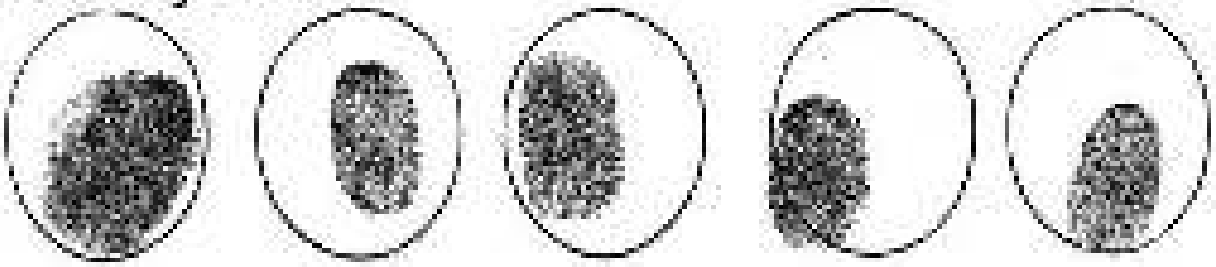

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

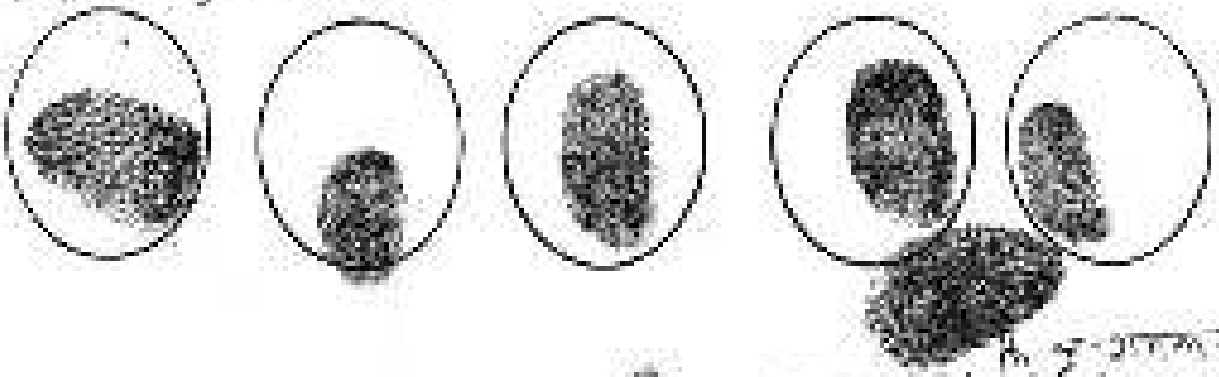

क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का नाम व पता :- ....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

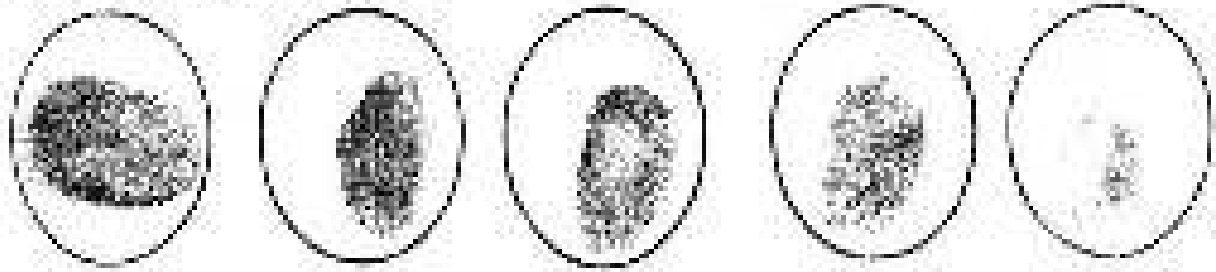

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

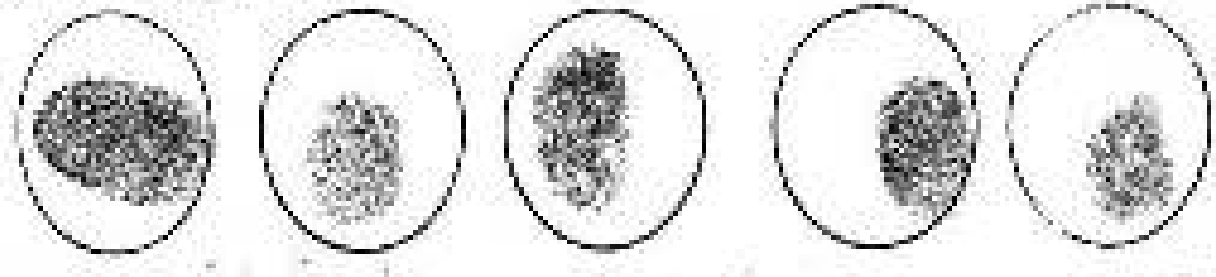

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

आज दिनांक 14/03/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8118

पृष्ठ सं 121 से 144 पर क्रमांक 1491

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के.शुक्ला

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

14/3/2007